



म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(म.प्र. शासन के पूर्ण स्वामित्व में) CIN : U40109MP2001SGC014880

ब्लॉक नं. 02, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008

Tel.:(0761)2702036,2702041,FaxNo.:(0761)2664450,e-mail:ce ca@mptransco.ltd.co.in

C.E. (Procurement)
M.P.P.T.C.L., Jabalpur

14 JAN 2021

R. No. 8774

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/उवेमा/पैनल-211/ 353 दिनांक 3 JAN 2021

आदेश

आदेश क्रमांक 01-05/1/WC/143 दिनांक 19.07.1990, क्रमांक 01-13/3676/58 दिनांक 29.09.2003, आदेश क्रमांक 01-07/चार/38 दिनांक 04.11.1995 एवं आदेश क्रमांक 01-13/5581/60 दिनांक 12.10.2006 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित वरिष्ठ लाईन परिचारक को 18 वर्षीय (द्वितीय विकल्प) नियम के तहत उच्च वेतनमान वेतन संवर्ग ई-4, वेतन बैंड-एक में वेतनमान रू0 5200-20200/- + सादृश्य ग्रेड वेतन रू. 2500/-, पुनरीक्षित 7वे वेतनमान में वेतन रू0 23200-73700/- का लाभ उनके नाम के समक्ष इंगित तिथि से उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी एवं वह दण्डावधि में नहीं थे :-

क्र0	कर्मचारी का नाम (श्री) एवं कर्मचारी संख्या	पदस्थापनास्थल	उच्चवेतनमान स्वीकृति तिथि
1	2	3	4
1	जयइन्द्र कुमार शर्मा 86340113	परीक्षण-संभाग सिवनी	15.10.2020

उच्च वेतनमान की स्वीकृति का लाभ आगामी पद पर पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है।

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/उवेमा/पैनल-211/ 354 दिनांक 3 JAN 2021
प्रतिलिपि:-


1. मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार), म.प्र.पावर ट्रांस कं. लिमि., जबलपुर।
2. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार), वृत्त, म.प्र. पावर ट्रांस कं. लिमि., सिवनी।
3. कार्यपालन यंत्री (परीक्षण), संभाग, म.प्र ट्रांस कं. लिमि., सिवनी।
4. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि., जबलपुर।

क्रमश:-2...

5. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं. लि., जबलपुर।
6. बेब मास्टर, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं. लि., जबलपुर।
7. ईआरपी एडमिनिसट्रेटर, आईटी-ईआरपी सेल, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं. लि., जबलपुर।
8. श्री....., वरिष्ठ लाईन परिचारक द्वारा-मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार), म.प्र.पावर ट्रांस कं. लिमि., जबलपुर।
9. आदेश नस्ती।
-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आदेश अग्रेषित करने वाले अधिकारी के लिए टीप

- (1) कर्मचारी को, उच्च वेतनमान के स्वीकृति की तिथि पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी एवं दण्डावधि में न होना सुनिश्चित होने पर ही आदेश अग्रेषित किया जावे अन्यथा की स्थिति में आदेश टीप के साथ इस कार्यालय को लौटा दिया जावे।
- (2) उपरोक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानांतरित होने की स्थिति में इस आदेश को इस कार्यालय को वापस न कर उनके संबंधित कार्यालय प्रमुख को उन्हें अग्रेषित करने हेतु भेजें।



अति.मुख्य अभियंता
कार्या. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)